2023/165

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
मंजु गुरबानी पत्नि श्री हर्ष गेहानी निवासी होटल शान्ति टैक्सी स्टैण्ड के पास आबूपर्वत जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 49 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.09.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 29.05.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम मांच पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 186 की भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक रूपान्तरण करने के आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उक्त खसरा के रूपान्तरण के सम्बन्ध में नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गई है अथवा नहीं, यदि की गई है तो उसकी प्रति एवं उक्त खसरे के रूपान्तरण के पूर्व मौके की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई गई या नहीं, यदि बनाई गई तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण से पूर्व नगरपालिका आबूपर्वत के अलावा सम्बन्धित अन्य विभागों से एन.ओ.सी. ली गई या नहीं, यदि ली गई हो तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण से पूर्व आम सूचना अनापत्ति बाबत् जारी की गई या नहीं, यदि की गई तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण से पूर्व सब–डिविजन नक्शा बनाया गया था या नहीं, यदि बनाया गया हो तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण करते समय विधिक प्रावधानों के अनुसार मौके पर रास्ता व अन्य सुविधाएं हेतु भूमि छोडी गई या नहीं, यदि छोडी गई तो उसका ले–आउट प्लान की प्रति एवं खसरा संख्या 186 की भूमि का आवासीय या वाणिज्यिक रूपान्तरण किए जाने की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 29.05.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम मांच पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 186 की भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक रूपान्तरण करने के आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उक्त खसरा के रूपान्तरण के सम्बन्ध में नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गई है अथवा नहीं, यदि की गई है तो उसकी प्रति लगातार.........	

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

एवं उक्त खसरे के रूपान्तरण के पूर्व मौके की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई गई या नहीं, यदि बनाई गई तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण से पूर्व नगरपालिका आबूपर्वत के अलावा सम्बन्धित अन्य विभागों से एन.ओ.सी. ली गई या नहीं, यदि ली गई हो तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण से पूर्व आम सूचना अनापत्ति बाबत् जारी की गई या नहीं, यदि की गई तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण से पूर्व सब–डिविजन नक्शा बनाया गया था या नहीं, यदि बनाया गया हो तो उसकी प्रति एवं खसरा संख्या 186 के रूपान्तरण करते समय विधिक प्रावधानों के अनुसार मौके पर रास्ता व अन्य सुविधाएं हेतु भूमि छोडी गई या नहीं, यदि छोडी गई तो उसका ले–आउट प्लान की प्रति एवं खसरा संख्या 186 की भूमि का आवासीय या वाणिज्यिक रूपान्तरण किए जाने की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि रेस्पोडेन्ट सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/सू.अ.अ./2023/202 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सूचित कर दिया था। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने एवं अपीलार्थी तृतिय पक्षकार होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Bhl10

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner